

## OFFICE, PRINCIPAL GOVERNMENT TULSI COLLEGE, ANUPPUR

Affiliated to Awadhesh Pratap Singh University Rewa (MP)

Registered Under Section 2 (F) & 12 (B) of UGC Act

E-mail: hegtdcano@mp.gov.in



## Nanad Lal Gupta Joining Letter

1	कार्यालय सचिव जन्मागीदारी समिति
	शासकीय तुलसी महाविद्यालय अनूपपुर जिला अनूपपुर म.प्र.
-	क्रमांक 1201
	प्रति.  पति पति ट्रिस्ताला ग्रुट्टी  पता ग्रावन गरिव जिला- सीधी
	विषय:—अतिथि विद्वानों को सत्र 2021—22 के लिए आमंत्रण। संदर्म:—1.उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शासन भोपाल का पत्र क्र.936/398/आउशि/शा—2/21 भोपाल
-	दिनांक 30.06.2021 2.पत्र क्र.483 / 166 / आईटी / आउशि / 2021, भोपाल दिनांक11.11.2021
í	विषयांतर्गत एतद द्वारा उक्त संदर्भित पत्रों के परिपालन में आपको शासकीय महाविद्यालय किया में शैक्षणिक सत्र 2021–22 के लिए विषय किया जाता है।
	यह आमंत्रण निम्न शर्तों के अध्याधीन होगा:- 1. यह आमंत्रण सत्र 2021-22 में 12 माह अथवा नियमित प्राध्यापक/सहा. प्राध्यापक/ग्रंथपाल/
	कीड़ाधिकारी की पदस्थापना / नियुक्त होने तक के लिए होगा।
	निर्धारित तिथि तक उपस्थित न दन पर आमत्रण स्वतः निरस्त है। अतिथित रहना अनिवार्य होगा ।  3. आपको प्रतिदिवस न्यूनतम 05 घंटे तथा प्रति सप्ताह न्यूनतम 40 घंटे उपस्थित रहना अनिवार्य होगा ।  जिसके अनुसार प्रतिदिवस औसत 7 घंटे का कार्यकाल अपेक्षित है। अतिथि विद्वान द्वारा प्रति सप्ताह
	न्यूनतम 16 घंटे का प्रत्यक्ष शिक्षण किया जीवा जीवा जीवा के आवश्यकतानुसार प्राचार्य द्वारा कार्यमार में क्लासेज आदि में भी शिक्षण का कार्य करेंगे। महाविद्यालय के आवश्यकतानुसार प्राचार्य द्वारा कार्यमार में
	4. अतिथि विद्वान का मानदेय शासन की नीति/ निदश दिनाक 17.12.2019 पर पराउपर उ.१
	होगा। 5. लगातार 15 कार्य दिवस में अनुपस्थित रहने पर आमंत्रण निरस्त कर दिया जावेगा। 6. यह आमंत्रण किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के सचिव, जनभागीदारी समिति द्वारा समाप्त किया जा
	सकेगा। 7. आपको महाविद्यालय में पुलिस या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण न होने संबंधी प्रमाण/अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय /अशासकीय सेवा में कार्यरत न होने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। शासकीय/अर्द्धशासकीय /अशासकीय सेवा में कार्यरत न होने के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। 8. आपको म0प्र0 शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश एफ 1—42/2017/38—1 भोपाल
	विनांक 17.12.2019 में वर्णित नियमा एवं शती के अधिर पर महापद्मालय में संबंधित याचिकाओं में पारित
	9. यह आमत्रण माननीय उच्च न्यायालय के निर्णयों के अध्याधीन रहेगा।
	प्राचिष्टिश्रिस्पार्थितः Apuppur जनभा. स्टुशिस स्थार्डानुस्पार्थितः अनूपपुर
	W Distraction of the state of t
	पृक्र. / / २०२ / अनूपपुर, दिनाक ५ ३   11   2   प्रतिलिप-
	1. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा रीवा सभाग रीवा म.प्र.।
	2. कार्यालयीन प्रति।
	PRINCIPAL
	प्राचीय त्रिसिंह Anuppur जनभा स्मिति शिक्षित प्राचीति वर्त्वस्मी सम्बाकिः अनुपपुर
10	PRINCIPAL Dist. Anappur
	Govt. Tuisi College (M.P.)